उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–61/2003

पंकज कुमार घोषाल

बनाम्

रैयान मौजा–जमुआ

–: आदेश :–

दिनांक 28/2/23

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पंकज कुमार घोषाल, पे0–स्व0 पार्वती घोषाल, सा0–सरौनी, थाना–गोड्डा(मु0) वर्तमान सा0–जमुआ थाना–गोड्डा(नगर) जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बन्दोवस्ती केश नं0–66/2001 के आदेश दिनांक–12.12.2003 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बन्दोवस्ती केश नं0–66/2001 के आदेश दिनांक–12.12.2003 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा जमुआ के दाग नं0–985/16 के अंदर रकवा–00–02–00 धुर जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी मौजा जमुआ प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के तत्कालिन प्रधान ने मौजा जमुआ न0–516 खाता नं0–66, दाग नं0–985/16 के अंदर रकवा 00–02–01 धुर जमीन की बंदोवस्ती अपीलकर्त्ता के साथ की गई है, जिसकी सम्पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश दिनांक–31.03.2001 के द्वारा की गई है। लेकिन इसके बाद अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दिनांक–20.10.2003 को रखा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–20.10.2003 को बिना किसी आवेदन के आदेश पारित किया गया कि सूचना मिली है, कि बंदोवस्तदार के द्वारा बंदोवस्ती रकवा से अधिक जमीन दखल कर लिया है। इस संबंध में अमीन से उक्त जमीन का नापी कर प्रतिवेदन उसी तिथि को समर्पित करने के लिए निदेश दिया गया। उनका आगे कहना है कि अमीन का नापी प्राप्त होने पर दिनांक–10.11.2003 को रखा गया। उसके पश्चात दिनांक–02.12.2003 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने गलत ढंग से आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता को उक्त मौजा के दाग नं0–985/16 के अंदर रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अतिक्रमण

हटाने के लिए आदेश पारित किया गया है। जबकि उक्त दाग नं0–985/16 के अंतर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन प्रधान के द्वारा पट्टा के द्वारा दिनांक–15.05.2001 को बंदोवस्त किया गया। बंदोवस्त प्राप्त करने के बाद अपीलकर्त्ता ने बंदोवस्त प्राप्त चार कट्ठा जमीन पर मकान बनाया है तथा सरकार को लगान का भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज किया गया है। चूँकि प्रधानी मौजा में परती कदीम जमीन को बंदोवस्ती के लिए मौजा के प्रधान सक्षम है और बंदोवस्ती के लिए मौजा के प्रधान ने चार प्रति में पट्टा तैयार किया है। प्रथम प्रति बंदोवस्तदार रैयत को दिया है। द्वितीय प्रति उपायुक्त को भेजा गया है एवं तृतीय प्रति जमीनदार तथा चतुर्थ प्रति स्वयं पंजी में संधारित करने के लिए रखा गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के जमीन को बंदोवस्ती नियम संगत तरीके से की गई है। बंदोवस्ती के विरूद्ध मौजा के किसी रैयत को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–32 में प्रावधान है कि मौजा के रैयतों के द्वारा बंदोवस्ती की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन देने पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी,ने बिना किसी आवेदन के अपीलकर्त्ता को दाग नं0–985/16 के अंतर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के दिनांक–12.12.2003 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथन पर कि अपीलकर्त्ता सैनिक है, के संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–513/रा0 दिनांक–20.03.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि पंकज कुमार घोषाल पे0–स्व0 पार्वती कुमार घोषाल, ग्राम–सरौनी बाजार, पो0–सरौनी बाजार, जिला–गोड्डा का निवासी है। ये दिनांक–30.11.2004 को Head Constable FHQ BSF Malda के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवा में इनकी नियुक्ति तिथि 01.03.1984 है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्त जमीन से अधिक जमीन दखल कर लिया है। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को अतिक्रमित जमीन से अतिक्रमण मुक्त

कराने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जमुआ के प्रधान ललिया देवी के द्वारा जमुआ दाग नं0–516 गैरमजरूआ खाता नं0–66, दाग नं0–985/16 के अंतर्गत आंशिक रकवा 00–02–01 धुर जमीन का बंदोवस्ती पट्टा अपीलकर्त्ता पंकज कुमार घोषाल पे0–पार्वती घोषाल के नाम से निर्गत किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–66/2000–01 के आदेश दिनांक–31.03.2001 के द्वारा की गई है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्त रकवा 00–02–01 धुर जमीन से अधिक रकवा 00–02–00 धुर जमीन का घेराबंदी किया गया था। बंदोवस्त रकवा से अधिक जमीन का घेराबंदी करने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा कोर्ट अमीन से नापी कराया गया एवं नापी प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होने के पश्चात अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्ती जमीन से अधिक जमीन का घेराबंदी किया गया है, निम्न न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु अपीलकर्त्ता को नोटिश निर्गत किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में कोई कागजात या कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता के द्वारा दावा किया गया है कि बंदोवस्त जमीन के अलावे उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन उक्त मौजा के तत्कालीन प्रधान के द्वारा दिनांक–15.05.2001 को अपीलकर्त्ता के साथ बंदोवस्ती की गई है। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता ग्राम–सरौनी बाजार के निवासी हैं और उक्त जमीन मौजा जमुआ में अवस्थित है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता सैनिक है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्ती पाने का दावा सैनिक के आधार पर किया जा रहा है। जबकि सरकार की ओर से निर्गत परिपत्र के अनुसार सैनिक के साथ जमीन की बंदोवस्ती करने की शक्ति जिला के समाहर्त्ता को प्रदत्त है। अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रधान के बंदोवस्ती पट्टा के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बन्दोवस्ती केश नं0–66/2001, के आदेश दिनांक–12.12.2003 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा 28/2/23

उपायुक्त
गोड्डा 28/2/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 11:07:16 +05:30
Location: 172.17.16.1